दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न

प्रबन्ध परिषद्

की

प्रथम बैठक

का

कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल – 246 123 (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

कार्यवृत्त

प्रथम बैठक	**दिनांक :**	**18 सितम्बर, 2014**
	समय :	**10.30 बजे प्रातः**
	स्थान :	**होटल इन्द्रलोक, राजपुर रोड, देहरादून।**

उपस्थिति

1—	प्रो0 मैथ्यू प्रसाद कुलपति	अध्यक्ष
2—	श्री देवेन्द्र पालीवाल प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, कृषि	
3—	डा0 एन0पी0 माहेश्वरी प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, शिक्षा	
4—	डा0 कमल मेहरोत्रा निदेशक, पशुपालन	सदस्य
5—	उप निदेशक, कृषि प्रतिनिधि, निदेशक, कृषि	
6—	प्रो0 पुष्कर सिंह बिष्ट उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लि0, पंतनगर	सदस्य
7—	डा0 ए0 के0 सिंह निदेशक, कोल्ड वाटर फिशरिज, भीमताल, नैनीताल	ICAR द्वारा नामित सदस्य
8—	प्रो0 अरविन्द शुक्ला	सदस्य
9—	प्रो0 बी0 पी0 नौटियाल	सदस्य
10—	श्री बलवीर सिंह रौतेला प्रगतिशील किसान	सदस्य

11– श्री बैशाखी लाल — सदस्य
जाने माने उद्योगपति या उत्पादक

12– श्रीमती शोभा बहुगुणा — सदस्य
महिला समाज सेविका

13– डा0 यशवन्त सिंह बर्त्वाल — सदस्य सचिव

सचिव, प्रबन्ध परिषद् द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलपति/अध्यक्ष महोदय से अनुमति का अनुरोध किया गया।

मा0 कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रबन्ध परिषद् की प्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी। कार्यावाही निम्नानुसार सम्पादित की गयी।

प्रबन्ध परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2014 की कार्यवृत्त की संक्षिप्त आख्या सारणी

संकल्प संख्या	कृत कार्यवाही	प्रबन्ध परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
प्रस्ताव सं0 1/1		कुलसचिव द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत
प्रस्ताव सं0 1/2		सदस्यों का परिचय किया गया
प्रस्ताव सं0 1/3		विश्वविद्यालय की गतिविधियों तथा प्रगति का संक्षिप्त वर्णन।
प्रस्ताव सं0 1/4	कुलसचिव कार्यालय	पुष्टि की गई।
प्रस्ताव सं0 1/5	कुलसचिव कार्यालय	सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई।
प्रस्ताव सं0 1/6	वित्त विभाग	पुष्टि की गई।
प्रस्ताव सं0 1/7	वित्त विभाग	सहमति प्रदान की गई।
प्रस्ताव सं0 1/8	वित्त विभाग	पुष्टि की गई।
प्रस्ताव सं0 1/9		संज्ञान लिया गया।
प्रस्ताव सं0 1/10	कार्मिक कार्यालय	पुष्टि की गई।
प्रस्ताव सं0 1/11	कुलसचिव कार्यालय	विश्वविद्यालय को सेवानियमावली बनाने के निर्देश दिये गये।
प्रस्ताव सं0 1/12		पुष्टि की गई।
प्रस्ताव सं0 1/13	कार्मिक कार्यालय	अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव सं0 1/14	शैक्षिक परिषद्	पुष्टि की गई।
प्रस्ताव सं0 1/15		श्रीमती शोभा बहुगुणा को नामित किया गया।
प्रस्ताव सं0 1/16		प्रो0 पी0 एस0 बिष्ट को नामित किया गया।
प्रस्ताव सं0 1/17	कुलसचिव कार्यालय	अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव सं0 1/18	कार्मिक कार्यालय	अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव सं0 1/19		सहमति प्रदान की गई।
प्रस्ताव सं0 1/20	वित्त विभाग	सहमति प्रदान की गई।
प्रस्ताव सं0 1/21		धन्यवाद

<u>संकल्प संख्या : 1/4</u>

<u>विषय:</u> शासनादेश सं0 जी0एस0–11/XIII–II/12(2)/2011 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में गो0ब0पंत विश्वविद्यालय के 46 नियमित शिक्षणेत्तर विकल्पधारी कर्मचारियों (सूची संलग्न) तथा विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति/ परिपत्र सं0 2/2012 (प्रतिनियुक्ति) दिनांक 05.06.2012 के क्रम में प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष से कार्यरत लेखाधिकारी की सेवाओं के उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में संविलियन/समायोजन की कार्यवाही का पुष्टिकरण।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने शांसनादेश सं0 जी0एस0–11/XIII–II/12(2)/2011 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में गो0ब0पंत विश्वविद्यालय के 46 नियमित शिक्षणेत्तर विकल्पधारी कर्मचारियों के संविलियन हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के पुष्टीकरण को सहमति प्रदान की। विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति/परिपत्र सं0 2/2012 (प्रतिनियुक्ति) दिनांक 05.06.2012 के क्रम में प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष से कार्यरत लेखाधिकारी की सेवाओं के उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में किये गये संविलियन/समायोजन पर प्रबन्ध परिषद् ने पुष्टीकरण पर सहमति व्यक्त की तथा साथ ही निर्देश दिये कि उक्त के सम्बन्ध में शासन के प्रशासनिक विभाग से भी पुष्टि करा ली जाए।

(कार्यवाही – कुलसचिव कार्यालय)

<u>संकल्प संख्या : 1/5</u>

<u>विषय:</u> राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों/ अधिष्ठाताओं/ वैज्ञानिकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष कर दी है। जिसकी Cut-off Date 04.09.2012 निर्धारित की गई है। इसी आधार पर विश्वविद्यालय की परिनियमावली में भी {पृष्ठ संख्या 20 अनु0 11 (एक)} नियमित शिक्षकों/वैज्ञानिकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाना प्राविधानित है। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों/अधिष्ठाताओं/वैज्ञानिकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रदेश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मियों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में पूर्व से ही ऐसा प्राविधानित है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की।

(कार्यवाही – कुलसचिव कार्यालय)

<u>संकल्प संख्या : 1/6</u>

<u>विषयः</u> आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष से अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत नियत अवधि के लिए तैनात टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल (टी0आर0पी0), टीचिंग पर्सनल (टी0पी0) एवं अन्य संविदा कार्मिकों तथा शासन के पत्र सं0 474/ XIII-II/ 2012-01(32)/ 2012 दिनांक 10.07.2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स्ड कर्मियों के वेतन एवं मजदूरी मदों के भुगतान के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध परिषद् को सूचित किया गया कि नवसृजित विश्वविद्यालय में शैक्षिक शोध, प्रसार तथा अन्य प्रशासनिक कार्यो हेतु नियत समय के लिए नवसृजित विश्वविद्यालय के संचालन हेतु अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल (टी0आर0पी0), टीचिंग पर्सनल (टी0पी0) तथा अन्य कर्मी नियत समय/ संविदा/तथा शासन के पत्र सं0 474/ XIII-II/ 2012-01(32)/ 2012 दिनांक 10.07.2012 के अनुपालन में उपनल से तैनात/अनुबन्धित किए गये हैं। प्रबन्ध परिषद् के समक्ष टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल (टी0आर0पी0), टीचिंग पर्सनल (टी0पी0) एवं अन्य संविदा कार्मिकों तथा आउटसोर्सिंग द्वारा उपनल के माध्यम से तैनात अन्य कर्मियों पर वेतन तथा मजदूरी मद से किए गए व्यय का विवरण रखा गया। उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने इस टिप्पणी के साथ कि भर्ती/ तैनाती स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही किया जाना उचित होगा, प्रस्ताव के पुष्टीकरण पर सहमति प्रदान की।

(कार्यवाही – वित्त विभाग)

<u>संकल्प संख्या : 1/7</u>

<u>विषयः</u> नवसृजित विश्वविद्यालय का विगत 2 वर्षों का वित्तीय विवरण एवम् भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के उपवित्त नियंत्रक द्वारा विगत दो वर्षों का वित्तीय विवरण तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विश्वविद्यालय के आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर मदों में विगत दो वर्षों के दौरान हुए आय–व्यय का विस्तृत विवरण रखा गया। प्रबन्ध परिषद् को यह भी सूचित किया कि प्रबन्ध परिषद् की ओर से विश्वविद्यालय की वित्त समिति के लिए एक सदस्य को नामित किया जाना है ताकि शासन द्वारा विश्वविद्यालय की वित्त समिति का गठन किया जा सके। प्रबन्ध परिषद् को यह भी सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त धनराशियों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया तथा अवशेष धनराशियों का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा रहा है जिस पर प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

(कार्यवाही – वित्त विभाग)

संकल्प संख्या : 1/8

विषयः नवसृजित विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों को उनके मूल दायित्वों के साथ–साथ अतिरिक्त कार्यप्रभार के निर्वहन हेतु दिये जा रहे मानदेय का पुष्टिकरण।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने इस टिप्पणी के साथ पुष्टिकरण की सहमति प्रदान की कि भविष्य में अतिरिक्त कार्यभार हेतु मानदेय स्थायी/प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिकों को ही देय होना चाहिए।

(कार्यवाही – वित्त विभाग)

संकल्प संख्या : 1/9

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अधीन नवसृजित महाविद्यालयों/ संस्थानों/ परिसरों/केन्द्रों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। – संज्ञानार्थ

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद् को संज्ञानार्थ सूचित किया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अधीन शासन के पत्र सं0 क्रमशः 1164/ XIII(II)/ 2013-20(08)/ 2013 दिनांक 05.12.2013; 842/ XIII(II)/ 2013-04(08)/ 2013 दिनांक 02.09.2013; 1155(1)/ XIII(II)/ 2013-30(08)/ 2013 दिनांक 05.12.2013; द्वारा (1) खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, डोईवाला, देहरादून; (2) पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया, जखोली, रूद्रप्रयाग; (3) औषधीय एवं संगन्ध पादप संस्थान, भराड़ीसैण, गैरसैंण, चमोली की स्थापना कर उनका संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सेलाकुई, देहरादून में पुष्प बीज एवं पौध उत्पादन केन्द्र की भी स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य सरकार से बजट मिलने की प्रत्याशा में उक्त परिसरों/केन्द्रों का संचालन विश्वविद्यालय के पूर्व स्वीकृत बजट से किया गया है जिस पर प्रबन्ध परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

संकल्प संख्या : 1/10

विषयः विश्वविद्यालय में स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक तथा वांछित अर्हताएं राज्य सरकार द्वारा लागू अर्हताओं के आधार पर तैयार कर कुलपति द्वारा अनुमोदित की गई हैं – पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने शिक्षणेत्तर पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुलपति द्वारा अनुमोदित अर्हताओं का पुष्टिकरण कर दिया। किन्तु साथ ही प्रबन्ध परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि चूंकि विश्वविद्यालय की अपनी परिनियमावली लागू हो चुकी है, अतः विश्वविद्यालय अपनी पृथक सेवानियमावली शीघ्र तैयार करे। प्रबन्ध परिषद् ने निर्देश दिया कि शिक्षणेत्तर पदों पर सीधी भर्ती विश्वविद्यालय की सेवानियमावली लागू होने के उपरान्त ही प्रारम्भ की जानी चाहिए।

(कार्यवाही – कार्मिक कार्यालय)

संकल्प संख्या : 1/11

विषयः विश्वविद्यालय में वर्तमान में पंतनगर विश्वविद्यालय की सेवानियमावली लागू है। साथ ही विश्वविद्यालय की सेवानियमावली पृथक से तैयार की जा रही है जिसको प्रबन्ध परिषद् की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा–सूचनार्थ

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय अपनी सेवानियमावली शीघ्र तैयार कर प्रबन्ध परिषद् की अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करे।

(कार्यवाही – कुलसचिव कार्यालय)

संकल्प संख्या : 1/12

विषयः परिनियमावली के प्रस्तर सं0 8 (क) (ग्यारह) के अनुसार Vacancy Circular No. 01of 2013/DE/KVK/Scientists, दिनांक 06.06.2013 को जारी रिक्ति विज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय के दोनों कृषि विज्ञान केन्दों में साक्षात्कार के उपरान्त 09 विषय वस्तु विशेषज्ञों, वेतनमान रु0 (15600–39100; ग्रेड पे–5400) पर चयन एवं नियुक्ति का पुष्टिकरण।

उपरोक्त प्रस्ताव के पुष्टीकरण पर प्रबन्ध परिषद् ने सहमति प्रदान की।

संकल्प संख्या : 1/13

विषयः परिनियमावली के प्रस्तर सं0 8 (क) (आठ) के अनुसार Vacancy Circular No. 04/2013/DR/AICRP/Scientist, दिनांक 03.08.2013 को जारी रिक्ति विज्ञापन के सापेक्ष अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कनिष्ठ शोध अधिकारियों/विशेषज्ञों वेतनमान रु0 (15600–39100; ग्रेड पे–6000) के साक्षात्कारोपरान्त चयनित कनिष्ठ शोध अधिकारियों के पैनल का अनुमोदन।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् के समक्ष विभिन्न कनिष्ठ शोध अधिकारियों/विशेषज्ञों वेतनमान रु0 (15600–39100; ग्रेड पे–6000) के साक्षात्कारोपरान्त चयनित कनिष्ठ शोध अधिकारियों के पैनल हेतु सील बन्द लिफाफे प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों के समक्ष खोले गये जिनके अनुसार पैनल निम्नवत हैं:–

पदनाम	परियोजना	लिफाफा संख्या	पैनल
Vacancy Circular No. 04 / 2013/DR/AICRP/Scientist dated 03-08-2013			
06–कनिष्ठ शोध अधिकारी (सस्य विज्ञान)	AICRP – अल्पप्रयुक्त फसलें (रानीचौरी परिसर)	01	1. डा0 नीता त्रिपाठी
07 – कनिष्ठ सस्य विशेषज्ञ / क0शो0अ0 (सस्य विज्ञान)	AICRP – मोटा अनाज सुधार (रानीचौरी परिसर)	02	1. डा0 अजय कुमार 2. डा0 दिनेश तिवारी 3. डा0 अम्बरीश सिंह यादव
08 – कनिष्ठ पादप रोग विशेषज्ञ / क0शो0अ0 (पादप रोग विज्ञान)	AICRP – औषधीय एवं सगंध पादप पर नेटवर्क (भरसार परिसर)	03	1. डा0 लक्ष्मी रावत 2. डा0 विजय कुमार 3. डा0 नीलम
09 – सहायक प्राध्यापक / क0शो0अ0 (सस्य विज्ञान)	AICRP – मोटा अनाज सुधार (रानीचौरी परिसर)	04	1. डा0 नीता त्रिपाठी

चयन समिति ने निर्णय लिया कि क्रम सं0 06 तथा 09 में एक मात्र अभ्यर्थी होने के कारण चयन नहीं किया जा सकता तथा क्रम सं0 07 में डा0 अजय कुमार तथा क्रम सं0 08 में डा0 लक्ष्मी रावत का चयन किया जा सकता है। प्रबन्ध परिषद् ने चयन समिति के निर्णय का अनुमोदन किया।

(कार्यवाही – कार्मिक कार्यालय)

संकल्प संख्या : 1/14

विषयः विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षिक नियमावली का पुष्टिकरण।

विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित शैक्षिक नियमावली पर पुष्टिकरण हेतु विचार विमर्श के दौरान कुछ सदस्यों का मत था कि नियमावली में marks distribution के सम्बन्ध में प्रायोगिक परीक्षाओं में अधिक अंक प्रदान किये जाने की व्यवस्था जिस पर शैक्षिक परिषद् पुनः विचार करे। इसके साथ ही शैक्षिक नियमावली की पुष्टि कर दी गई।

(कार्यवाही – शैक्षिक परिषद्)

संकल्प संख्या : 1/15

विषयः विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन हेतु सर्च कमेटी में प्रबंध परिषद् के सदस्यों में से, प्रबन्ध परिषद् द्वारा एक सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन हेतु सर्च कमेटी में प्रबंध परिषद् द्वारा प्रबन्ध परिषद् के किसी एक सदस्य को नामित किया जाना प्राविधानित है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रबन्ध परिषद् के पदेन अध्यक्ष प्रो0 मैथ्यू प्रसाद बैठक में उपस्थित नहीं थे। तत्क्रम में प्रो0 अरविन्द शुक्ला द्वारा अध्यक्ष के रूप में श्री बैशाखी लाल के नाम का प्रस्ताव किया गया, जिसपर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी तथा सर्वसम्मति से श्री बैशाखी लाल को अध्यक्ष के रूप में नामित किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्च कमेटी में प्रबंध परिषद् द्वारा प्रबन्ध परिषद् के किसी एक सदस्य को नामित किया जाने हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी, जिसपर प्रो0 बी0पी0 नौटियाल द्वारा श्रीमती शोभा बहुगुणा, निवासी – मालवीय उद्यान, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, मो0 9411124188 को सर्च कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन आई0सी0ए0आर0 द्वारा नामित सदस्य डा0 ए0के सिंह द्वारा किया गया, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी तथा सर्वसम्मति से श्रीमती शोभा बहुगुणा को सर्च कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

संकल्प संख्या : 1/16

विषयः विश्वविद्यालय की वित्त समिति हेतु प्रबंध परिषद् के सदस्यों में से, प्रबन्ध परिषद् द्वारा एक सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

परिनियमावली के प्रस्तर 15 (एक) (5) के अनुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति में प्रबन्ध परिषद् के किसी एक सदस्य को नामित किया जाना प्राविधानित है। प्रबन्ध परिषद् द्वारा किसी एक सदस्य को वित्त समिति में सदस्य नामित किये जाने हेतु प्रो0 अरविन्द शुक्ला द्वारा प्रो0 पी0एस0 बिष्ट के नाम का प्रस्ताव किया गया तथा प्रो0 बी0पी0 नौटियाल द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया, जिसपर सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति दी गयी तथा सर्वसम्मति से प्रो0 पी0एस0 बिष्ट, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, हल्दी, पंतनगर, ऊधमसिंहनगर, मो0 8476004101 को प्रबन्ध परिषद् की ओर से वित्त समिति में सदस्य नामित किये जाने का निर्णय लिया गया।

संकल्प संख्या : 1/17

विषयः विश्वविद्यालय की परिनियमावली में त्रुटिवश कुछ प्रस्तरों में कुछ शब्द छूट गये हैं तथा सर्च कमेटी हेतु प्रबन्ध परिषद के सदस्य के चयन की प्रक्रिया भी जैसे कि पंतनगर विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित है, का समावेश किया जाना है। विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 29 (2) और (6) के अनुसार प्रबन्ध परिषद् में निहित परिनियमावली के संशोधन के अधिकार के तहत कतिपय संशोधन (विवरण संलग्न) प्रस्तावित हैं – अनुमोदनार्थ

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद् ने विश्वविद्यालय की परिनियामवली के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों में त्रुटियां दूर किये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया। साथ ही संकल्प सं0 1/20 (अन्य कोई प्रस्ताव) के अन्तर्गत प्रस्तुत परिनियामवली के प्रस्तर 4 (तीन) (ख) (a) (छः) में प्रभारी शब्द जोड़े जाने को भी अनुमोदित कर दिया।

(कार्यवाही – कुलसचिव कार्यालय)

संकल्प संख्या : 1/18

विषयः दो वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत डा0 वी0पी0 खण्डूरी की सेवाओं का विश्वविद्यालय में संविलियन का प्रस्ताव – अनुमोदनार्थ

उपरोक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रबन्ध परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही – कार्मिक कार्यालय)

संकल्प संख्या : 1/19

विषयः पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया, जखोली, रूद्रप्रयाग तथा खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरीग्रांट, डोईवाला, देहरादून में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव प्रबन्ध परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया। परिषद् को सूचित किया गया कि दिनांक 25.08.2014 को हुई विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् की छठी बैठक में यह संकल्प पारित किया गया था कि पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया, जखोली, रूद्रप्रयाग तथा खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरी ग्रांट, डोईवाला, देहरादून में शीघ्रातिशीघ्र डिग्री कोर्स प्रारम्भ किए जाने हैं। उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाना है। इसके दृष्टिगत शैक्षिक परिषद् ने यह निर्णय किया कि उपरोक्त पाठ्यक्रमों को शीघ्र प्रारम्भ किए जाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से उक्त परिसरों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जाये, जिससे उक्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में

सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर शीघ्रता से पाठ्यक्रम शुरू किए जा सके। शैक्षिक परिषद् के निर्णय पर प्रबन्ध परिषद् ने अपनी सहमति प्रदान की।

संकल्प संख्या : 1/20

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

विषयः प्रो0 अरविन्द शुक्ला द्वारा निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया –

विश्वविद्यालय के मूलतः दो परिसर भरसार एवं रानीचौरी के साथ वर्तमान में पुष्प बीज एवं पौध उत्पादन प्रक्षेत्र, सेलाकुई एवं खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, डोईवाला भी प्रारम्भ हो चुके हैं इन केन्द्रों पर कार्य करने हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती की जा चुकी है एवं अन्य की तैनाती भी भविष्य में होती रहेगी। वर्तमान केन्द्रों में विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्रस्तावित है कि इन केन्द्रों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय शासनादेश सं0 38/xxvii(7) म0 कि0/2009 जो कि श्री आलोक कुमार जैन प्रमुख सचिव वित्त द्वारा जारी किया गया है के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरें विश्वविद्यालय में भी अनुमन्य की जा सकती है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध परिषद् ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता राज्य सरकार के शासनादेश सं0 38/xxvii(7) म0 कि0/2009 के क्रम में अनुमन्य दरों पर दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की, किन्तु साथ ही यह निर्देश दिये गये कि मकान किराया भत्ता सम्बद्धता की दशा में नहीं अपितु स्थायी तैनाती की स्थिति में ही अनुमन्य होगा।

(कार्यवाही – वित्त विभाग)

संकल्प संख्या : 1/21

विषयः धन्यवाद प्रस्ताव।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ ही बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

19/09/14

(डा0 यशवन्त सिंह बर्त्वाल)
कुलसचिव/सदस्य सचिव

(मैथ्यू प्रसाद)
कुलपति/अध्यक्ष, प्रबन्ध परिषद्